



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
 (संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
 (A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
 NAAC द्वारा "A" ग्रेड प्रवृत्त/ NAAC Accreditation "A" Grade

डॉ. सुरेन्द्र पी. गादेवार
Dr. Surendra P. Gadewar
परीक्षा नियंत्रक
Controller of Examinations



दूरभाष नं. 07152-242812

पुनर्मूल्यांकन

क्रमांक : 04/परी/ पुनर्मूल्यांकन/अधि. परी./ दि. 2025/2026/01/3743
 दिनांक: 30 जनवरी, 2026

सूचना

दिसंबर 2025 में आयोजित अधिसूत्र परीक्षा का परीक्षा परिणाम समर्थ पोर्टल के माध्यम से जारी किया जा चुका है। ऐसे विद्यार्थी जो विश्वविद्यालय के अकादमिक अध्यादेश क्रमांक EXA-4.24 (Re-evaluation) के अनुसार पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करना चाहते हैं वह दिनांक 03 फरवरी 2026 को सुबह 10.00 बजे से दिनांक 12 फरवरी, 2026 को शाम 05.00 बजे तक समर्थ पोर्टल के माध्यम से निर्धारित शुल्क रु.100/- प्रति प्रश्नपत्र (अधिकतम 02 प्रश्नपत्र) के साथ समर्थ पोर्टल पर विद्यार्थी लॉगिन के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। जो विद्यार्थी ऑफलाइन आवेदन प्रस्तुत कर चुके हैं, उन्हें समर्थ पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। निर्धारित तिथि के उपरांत आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

EXA-4.24

1. Re-evaluation shall not be permitted in the case of Practical Examinations, viva voce, Project Report, Sessionals/Internal Assessment and Dissertation, as also the answer scripts of any Examination which have already been valued in full by Joint Examiners/Board of Examiners.
2. The merit list, declared in the results of the respective Examination shall not be prejudiced owing to re-evaluation of scripts.
3. If there be any change in the result of the Examination due to reevaluation of answer scripts, no examinee can complain in the Court of Law, nor any action can be initiated against the Examiner (s) concerned.
4. If the award of the Re-evaluator (second Examiner) varies from the original award upto and including \pm 5% of the maximum marks secured earlier, the original award shall stand.
5. If the award of the Re-evaluator varies from the original award upto and including \pm 20% of the maximum marks secured earlier, then the answer script shall be sent to the second reevaluator (Third Examiner).
6. The average of the marks awarded by the Second and Third Examiners shall be final.

(डॉ. सुरेन्द्र पी. गादेवार)

30/01/2026

प्रतिलिपि –

1. कुलसचिव कार्यालय, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा
2. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/विभाग प्रमुख
3. अकादमिक निदेशक क्षेत्रीय केंद्र प्रयागराज
4. प्रभारी क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता
5. प्रभारी अध्ययन केंद्र रिद्धपुर
6. संबंधित फाइल